न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2640–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–7–2012 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील इंदौर प्र0क0 115/अ–12/11–12

गजराजसिंह पिता श्री हेमसिंह जी कलोता
निवासी ग्राम चौहानखेड़ी, तहसील व जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

छोटू पिता श्री रामसिंह कलोता
निवासी ग्राम चौहानखेड़ी,
तहसील व जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री डी0 आर0 व्यास अभिभाषक, आवेदक
श्री तुषार दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 9 अक्टूबर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसील इंदौर द्वारा पारित आदेश 2–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अंतर्गत उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 256/1/1/ख रकबा 3.017 हैक्टेंयर एवं सर्वे कमांक 256/1/2 न रकबा 0.490 हैक्टेयर के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक

115/अ–12/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 2–7–2012 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 12–6–2012 को सीमांकन हेतु नोटिस जारी किया । उसमें बिना आदेश के लीलाबाई पति छोटू का नाम बढ़ा दिया और सर्वे नंबर 256/6 बढ़ा दिया, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(2) आवेदक गजराज सिंह को सूचना दिये बगैर ही उसकी पीठ पीछे सीमाकंन कर दिया गया और उसकी भूमि में अनावेदक की भूमि निकाल दी गई।

(3) राजस्व निरीक्षक ने सीमाकंन भी शासन द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार ट्राव्हर्स चांदे सब ट्राव्हर्स चांदे व मुस्तकील मुकाम से नहीं किया ।

(4) राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन का फील्ड बुक भी नहीं बनाया ।

(5) सीमाकंन पंचनामा में स्वतः राजस्व निरीक्षक यह लिख रहे है कि नक्शे में बटांकन नहीं है । जब नक्शे में बटांकन होकर सीमांकन किये जाने वाले सर्वे नंबर की सीमायें ही कायम नहीं है तो सर्वे नंबर 256/1/1 ख व सर्वे नंबर 256/1/2 न का सीमांकन कैसे संभव है । नक्शे में तरमीम कर बटे नंबर डालकर उन सर्वे नंबर की सीमायें ही कायम नहीं है तो किस सीमा व सर्वे नंबर का सीमाकंन किया गया ।

(6) राजस्व निरीक्षक ने जो नक्शा प्रस्तुत किया वह बिना मापमान का है । अर्थात सीमांकन में पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है ।

(7) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप सीमांकन कार्यवाही में हितधारी व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है । बिना ऐसा अवसर दिये पारित आदेश अवैध है ।

(8) धारा 129 के अंतर्गत सीमाकंन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामियों को सूचना किये बिना नहीं किया जा सकता ।

तर्क के समर्थन में 1980 राजस्व निर्णय 244, 1988 राजस्व निर्णय 105, 1998 राजस्व निर्णय 106, 2006 राजस्व निर्णय 218 एवं 2011 राजस्व निर्णय 389 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक द्वारा जिस धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । उस धारा के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के सीमाकंन प्रकरण 115/अ–12/11–12 में पारित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आवेदक द्वारा धारा 25 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत राजस्व अधिकारी के स्थानांतरण हो जाने पर प्रयोक्तव्य शक्तियों का उल्लेख है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन प्रकरण में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने हेतु पत्र जारी किया, जिसके परिपालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 12–6–2012 को अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वैधानिकता पूर्ण करने के पश्चात सीमांकन कार्य सम्पन्न किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कतई कोई आवश्यकता नहीं है ।

(4) आवेदक द्वारा एक अन्य दाण्डिक प्रकरण धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता में अनुविभागीय दण्डाधिकारी खुडैल के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन प्रकरण को आधार बनाते हुए अपना जबाब प्रस्तुत किया । इस प्रकार निगरानीकर्ता इस न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से उपस्थित नहीं हुआ । क्योंकि एक ही सीमाकंन को उसके द्वारा अलग–अलग न्यायालयों में अपने हित के अनुसार सही एवं गलत प्रस्तुत किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष दिनांक 19–10–2011 को अनावेदक द्वारा सीमाकंन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–11–2011 को प्रकरण दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक को सीमाकंन के निर्देश दिये गये है । तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकंन कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकार आवेदक गजराज सिंह सहित अन्य पड़ोसी कृषको को किसी प्रकार की कोई सूचना दी जाना परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमो के समर्थन में तहसील न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः यदि यह मान लिया जाये कि तहसील न्यायालय

द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया है, तब भी वह उन पर विधिवत सूचना पत्र की तामीली नहीं हुआ है । क्योंकि उनके हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है । तहसीलदार द्वारा जो सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें सर्वे कमांक 256/1/1 ख, 256/1/2 न के अतिरिक्त 256/6 के सीमाकंन किये जाने का उल्लेख है, जबकि सर्वे कमांक 256/6 के सीमाकंन हेत कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया है । सीमाकंन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमाकंन पंचनामें में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सीमाकंन के समय कौन–कौन पंच एवं सरपंच उपस्थित थे और कौन कौन से पड़ोसी कृषक उपस्थित थे । केवल यह उल्लेख किया गया है कि पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमाकंन किया गया, जो कि पर्याप्त नहीं है । सीमाकंन पंचनामें में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नक्शे में बटाकंन नहीं है, अतः जब नक्शे में बटाकंन ही नहीं हुआ तब सीमांकन कैसे संभव है, इस स्थिति पर तहसीलदार द्वारा विचार नहीं किया गया है । जबकि सीमाकंन के पूर्व बटाकंन किया जाना आवश्यक है । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित सीमाकंन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि आवेदक की ओर से संहिता की धारा 25 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्ती योग्य है । क्योंकि गलत धारा का उल्लेख करने मात्र से आवेदन पत्र निरस्त करना उचित कार्यवाही नहीं है । आवेदन पत्र की विषय वस्तु पर विचार किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण पुनः विधिवत उभयपक्ष सहित हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाकंन किये जाने हेतु तहसीलदार, इंदौर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर